न्यायालयः– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, किशनगंज।

विशेष वाद (एस.सी./एस.टी.) संख्या– 69/2019

सि0आई0एस नं0– 16/2018

कोढ़ोबाड़ी थाना कांड संख्या– 04/2018

24.07.2026 कुल दो अभियुक्तगण सीता राम शर्मा एवं फुलो देवी अनुपस्थित है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि दोनो अभियुक्तों के विरूद्ध निर्गत अधिपत्र का तामिला प्रतिवेदन उनके मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ सम्बन्धित कोढ़ोबाड़ी थाना से प्राप्त है। चुंकि दोनो अभियुक्त सीता राम शर्मा एवं फुलो देवी की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति कोढ़ोबाड़ी थानाध्यक्ष के द्वारा समर्पित किया गया है।

अतः दोनो अभियुक्त सीता राम शर्मा एवं फुलो देवी के विरूद्धे वाद की अग्रिम कार्रवाई समाप्त की जाती है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियामानुसार अभिलेखागार मे जमा करें।

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह–II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम
किशनगंज।
24.07.2026

Date of Judgement/Order	24-07-2026
Date of reserving Judgement/Order	24-07-2026
Uploading Date	27-07-2026
Uploading by	Deposition Writer

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद के प्राथमिकी अभियुक्त मसुद रजा अनुसंधान के दौरान न तो गिरफ्तार किया जा सका और न ही उसने न्यायालय मे आत्मसमर्पण किया। केस डायरी के पारा 221 से अवलोकन होता है कि जब पुलिस उसके घर की कुर्की हेतु गई तो पायी कि अभियुक्त महानन्दा नदी के बॉध के किनारे धर बनाकर रह रहा था तथा महानंदा नदी के बॉध का मारम्मी एवं चौड़ीकरण के कारण उसके घर को सरकार द्वारा हटा दिया गया है जिस कारण कुर्की योग्य कोई सामान नहीं मिला है। उसके पश्चात् पुलिस नें अभियुक्त शरीफ सरकार को अनुप्रेषित दिखाते हुये अभियुक्त मसुद रजा को फरार दिखाते हुये आरोप पत्र समर्पित किया। परन्तु विद्वान अनुण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, किशनगंज नें दोनो अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया तथा उनके विरूद्ध सम्मन एवं जमानतीय एवं गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया परन्तु अभियुक्तगण उपस्थित नहीं हुए तब उनके विरूद्ध धारा 82 द0प्र0स0 एवं धारा 83 द0प्र0स0 की प्रक्रिया निर्गत की गयी परन्तु पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर के अभियुक्तगण को प्रस्तुत नहीं किया गया और न अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित हुए। उसके पश्चात् विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, किशनगंज द्वारा पुलिस पेपर का कागजात संलग्न करते हुये वाद को दिनांक 28.01.2025 को

सत्र न्यायालय, किशनगंज को दौरा सुपुर्द्ध कर दिया गया। सत्र न्यायालय में सत्र वाद दर्ज हुआ तथा वाद को विचारण तथा निष्पादन हेतु इस न्यायालय मे स्थानान्तरित कर दिया गया।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुसंधान के कम से लेकर अब तक अभियुक्तगण के विरूद्ध दो बार सभी प्रक्रियाऐं निर्गत की जा चुकी है परन्तु अभियुक्तगण अभी तक न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए है इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निकट भविष्य में अभियुक्तगण के इस वाद में उपस्थित होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः अभियुक्तगण मसुद रजा एवं शरीफ सरकार को फरार घोषित किया जाता है।

कार्यालय लिपिक अभियुक्तगण के विरूद्ध स्थाई अधिपत्र जारी करें।

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम
किशनगंज।
05.06.2025